period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Training

Two week training for operation and maintenance of vehicle (Refresher Course) from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group'B' Departmental Promotion Committee consisting of:— 1. Chairman, Central Ground Water Board –Chairman 2. Director (Administration), Central Ground Water Board - Member 3. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 21/08/2016-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.

Footnote : The principal rules were published vide notification number G.S.R. 60 dated the 11th April, 2016 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section(i) dated 23rd April, 2016.

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 381.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, कार्यपालक इंजीनियर, समूह 'क' पद भर्ती नियम 2011, उन बातों के अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में कार्यपालक इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, कार्यपालक इंजीनियर, समूह 'क' पद भर्ती नियम 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
कार्यपालक इंजिनियर	19* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर 11 (रु. 67700)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भरी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (56100 रु) स्तर -10 में ऐसा सहायक कार्यपालक इंजीनियर जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सिविल या यांत्रिक या कृषि या खनन या इलैक्ट्रिकल या ड्रिल्लिंग इंजीनियरिंग अथवा पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा व निम्नलिखित विषयों पर राजीव गांधी राष्ट्रीय जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान रायपुर या किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से दो सप्ताह का प्रशिक्षण: (i) प्रधान प्रबंधन और व्यवहार्य; (ii) प्रशासन और वित्त

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी:

(i) जिन्होने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; अथवा

(ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स ((56100 रु) स्तर -10 में पद पर नियमित आधार पर उसमे नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो ; और

(iii) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं:

(I) आवश्यक

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या यांत्रिक या कृषि या खनन या इलैक्ट्रिकल या ड्रिल्लिंग इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी में डिग्री

(ख) यांत्रिक ड्रिल्लिंग रिग्स के उपयोग करने में पाँच वर्ष का अनुभव

(II) वांछनीय

ट्यूबवेल और भूजल जांच में दो वर्ष का अनुभव

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. विशेष सचिव या अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय — अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय — सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 21/2/2013-सीजीडब्ल्यूबी]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

New Delhi, the 27th October, 2017

G.S.R. 381.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Executive Engineer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Executive Engineer in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Executive Engineer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of pos	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non - selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Executive Engineer.	19* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 11 (Rs.67,700) in the pay matrix.	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation

case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made
(11)
Promotion: Assistant Executive Engineer in Level-10 (Rs.56,100) in the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing a Diploma in Civil or Mechanical or Agricultural or Mining or Electrical or Drilling Engineering or in Petroleum Technology from a recognised Institute or University. Two weeks training from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or in any other National Level Institute on following topics:- (i) Management principles and practices; (ii) Administrative and Finance. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officer of the Central Government or State Government or Union territories Administration,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-10 (Rs.56,100) in the pay matrix in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** (i) Degree in Civil or Mechanical or Agricultural or Mining or Electrical or Drilling Engineering or Degree in Petroleum Technology from a recognised University or Institute; and (ii) Five years experience in the use of Mechanical Drilling Rigs. **Desirable:** Two years experience of tube wells and allied ground water investigations. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:— 1. Special Secretary or Additional Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Chairman 2. Chairman, Central Ground Water Board – Member 3. Joint Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

[F. No. 21/02/2013-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.